

26/5/16

पक्षकानून उपस्थित/अनुपस्थित/बकील प्राप्ति/अप्राप्ति  
उपस्थित/अनुपस्थित न्यायालय में समक्ष प्रस्तुत  
की गई। परन्तु न्यायालय में आ। अस पक्षकानूनी  
सम्बन्धित न्यायालय का वापिस सौटर्ड न्यायालय  
दिनांक 21-5-16 को न्यायालय में प्रेषित हूँ।

JK

पुनश्च, इतना लिखते हैं बाकी/प्राप्ति के अभाव में  
न्यायालय में दाखिल हुआ। बाकी ने अपना दावा वापिस  
लेने हेतु 4 दिनों में आगामी कार्रवाई नहीं  
करने का वापस प्रस्तुत किया। बाकी को सुना  
गया। बाकी का वापस स्वीकार किया जा रहा है  
बाकी का दावा विद्वेष किया जा रहा है। परन्तु  
न्यायालय से कर होकर बाकी न्यायालय में  
दाखिल की जावे निर्णय के अभाव में न्यायालय  
गया।

JK

21/5/16  
सरपंच  
ग्राम पंचायत भीकर  
पं० सा० कोटकासिम (अलवर)

